



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100013274/FNOC/COL/2024/7831
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 08, 2024 - जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Mar-24
आवेदक का नाम / LOI धारक का नाम
Applicant Name /LOI Holder : **SANSKAAR ACADEMY OF EDUCATION**
आवेदक का पता / Applicant Address : **MAA KRISHNA DEVI SHIKSHA EVAM JAN
KALYAN SAMITI WARD NO. 04 REHTI DISTRICT SEHORE**
अनापत्तिप्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : **Fire Safety Certificate**
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : **Educational Building/ शैक्षणिक भवन**
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 3 (मीटर / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल /Plot / Building Area : 8190 (Sq.Mtr)
सम्पत्ति का पता / Property Address : **SANSKAAR ACADEMY OF EDUCATION
KH 51/1/2/1 TEHSIL REHTI VILL ITAWA JADID
DISTRICT SEHORE SEHORE District Rural Area**
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित/
Approved by Fire Authority :
टिप्पणी/ Remarks:

विषय:- माँ कृष्णा देवी शिक्षा एवं जन कल्याण समिति द्वारा संस्कार स्कूल भवन निवासी वार्ड 04 रेहटी तहसील रेहटी जिला सीहोर म.प्र. स्थल का पता (जहाँ इकाई का संचालन होगा) सर्वे नंबर 51/1/2/1, ग्राम इटावा जदीद तहसील रेहटी जिला सीहोर म.प्र. के **8190** वर्ग मीटर एवं **03** मीटर ऊँचे **शैक्षणिक भवन** हेतु "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट " प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ: आपका रिक्वेस्ट नम्बर 6100013274 .



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100013274/FNOC/COL/2024/7831
आवेदन की तिथि /Application Date : Feb 08, 2024 - जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Mar-24
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : **SANSKAAR ACADEMY OF EDUCATION**
Applicant Name /LOI Holder

परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा:-

1. निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा:-

1	Access.
2	Wet Riser
3	Down Comer
4	Hose Reel
5	Automatic Sprinkler System
6	Yard Hydrant
7	U.G. Tank With Draw off Connection
8	Terrace Tanks.
9	Fire Pump
10	Terrace Pump
11	First Aid Fire Fighting Appliances
12	Pressurization System
13	Auto Detection System
14	Manual Operated Electrical Fire Alarm system
15	P.A. System with talk back facility.
16	Emergency Light.
17	Auto D.G. Set
18	Illuminated Exit Sign.
19	Means Of Escape.
20	Compartmentation
21	MCB/ELCB
22	Firman Switch in Lift
23	Hose Boxes With Delivery Hose and Branch
24	Refuge Area.

(उपरोक्त में से यथा निर्देशित)



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100013274/FNOC/COL/2024/7831
आवेदन की तिथि /Application Date : Feb 08, 2024 - जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Mar-24
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : **SANSKAAR ACADEMY OF EDUCATION**
Applicant Name /LOI Holder

2. इस कार्यालय द्वारा जारी टेम्पररी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण क्रमांक 6100009184/FNOC/COL/2023/5141 दिनांक 27/01/23 का भाग है।
 3. आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अनुसार आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व "अग्निशमन प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई "एनओसी स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
 4. आवेदक को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम 2012, एवं निर्धारित आई. एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 5. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
 6. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का समय समय पर रख रखाव किया जाकर स्थापित उपकरण पर रख रखाव दिनांक एवं रिफिल दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
 7. अनापत्ति जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 8. आवेदक को प्रदाय की जा रही एनओसी जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के 'एक माह पूर्व' नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

कलेक्टर
Collector
जिला सीहोर मध्यप्रदेश
District Sehore, Madhay Pradesh